न्यायमूर्ति शील नागू: पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के **न्यायमूर्ति शील नागू** को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश **नियुक्त किया गया है।**

मुख्य बिंदु

उन्हें वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। मामलों के निस्तारण के माध्यम से न्यायपालिका में उनका योगदान, **12 वर्षों से अधिक** के अपने कार्यकाल के दौरान **499 से अधिक रिपोर्ट किये गए निर्णय हैं।**

उच्च न्यायालय (HC) के न्यायाधीशों की नियुक्ति

- **संविधान का अनुच्छेद 217:** इसमें कहा गया है कि किसी **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** की **नियुक्ति राष्ट्रपति** द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
  - मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।**
- **परामर्श प्रक्रिया:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें **CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।**
  - यह प्रस्ताव दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** द्वारा किया जाता है।
  - सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो **केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव राज्यपाल** को भेजने की सलाह देता है।
  - **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** की नियुक्ति इस नीति के आधार पर की जाती है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य से बाहर का होगा।
    - पदोन्नति पर निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/justice-sheel-nagu-punjab-s-haryana-chief-justice